राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 37/2021

दायर दिनांक 30.06.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 झूंता जाति बलाई
2. मोटूराम पुत्र स्व0 झूंता जाति बलाई

सर्व निवासीगण ग्राम थल तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

–––वादी

बनाम

1. श्रीमती सुशीला पत्नि स्व0 लक्ष्मण , बालिग
2. राजकुमार पुत्र स्व0 लक्ष्मण , बालिग
3. प्रहलाद पुत्र स्व0 लक्ष्मण ,बालिग
4. माया पुत्री स्व0 लक्ष्मण , बालिग

सर्व जाति बलाई सर्व निवासीगण ग्राम थल तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी शमशान रोड़ के पास , भोपा का बाड़ा अजमेर

5. महेन्द्र पुत्र स्व0 सम्पत पुत्री स्व0 झूंता बालिग
6. सोनू पुत्र स्व0 सम्पत पुत्री स्व0 झूंता बालिग
7. सरोज पुत्री स्व0 सम्पत पुत्री स्व0 झूंता बालिग
8. नरसी पुत्र स्व0 सम्पत पुत्री स्व0 झूंता बालिग
9. अन्नू पुत्री स्व0 सम्पत पुत्री स्व0 झूंता बालिग

सर्व जाति बलाई , सर्व निवासीगण मोडीखुर्द तहसील परबतसर जिला नागौर

10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0 का0 अधि0 1955

निर्णय दिनांक 16-3-22

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के ससुर, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के दादा , प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 के नाना स्व0 झूंता पुत्र हरलाल की कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम थल पटवार मण्डल थल तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है। जिसके खाता संख्या 85 के ख0न0 121 रकबा 1.0840 है0, ख0न0 127 रकबा 1.4966 है0, ख0न0 577/129रकबा 1.9254 है0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 4.5060 है0 स्थित है। वादीगण के पिता स्व0 झूंता पुत्र हरलाल के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियमों व प्रावधानो के तहत पैतृक सम्पत्ति में वादीगण हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होने से वाद पेश किया जा रहा है। वादीगण के पिता स्व0 झूंता का पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र संलग्न है। वादीगण के पिता झूंता पुत्र हरलाल का स्वर्गवास 05.01.2010 को हो चुका है तथा वादीगण की माता तुलसी देवी पत्नि झूंता [illegible] दिनांक 02.11.1998 को हो चुका है तथा वादीगण की बहिन एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 की माता सम्पति देवी पुत्री स्व0 झूंता पत्नि शिम्भुराम का स्वर्गवास दिनांक 27.8.2002 को हो चुका है तथा [illegible] के भाई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 [illegible] प्राकृतिक [illegible] झूंता दत्तक पुत्र हरकरण का स्वर्गवास दिनांक 02.07.2016 को हो चुका है। [illegible] प्राकृतिक पुत्र झूंता को [illegible] के पिता झूंता व माता तुलसी देवी ने उनके जीवनकाल में ही अपने रिश्तेदारों व गांव वालो की मौजूदगी में हरकरण पुत्र श्री कानाराम निवासी पालड़ी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर को सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार गोद दे दिया था तथा हरकरण पुत्र श्री कानाराम ने लक्ष्मण को गोद लेकर अपना गोद पुत्र स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 15:37:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

गया था तथा लक्ष्मण को गोद लेने के बाद उसके समस्त सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेजों में उसके दत्तक पिता हरकरण का नाम दर्ज चला आ रहा है तथा लक्ष्मण दत्तक पुत्र हरकरण का स्वर्गवास दिनांक 02.07.2016 को हो चुका है तथा मृतक लक्ष्मण दत्तक पुत्र हरकरण के विधिक प्रथम श्रेणी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा वादीगण के पक्ष में एक सहमति पत्र दिनांक 09.08.2018 को रूबरू गवाहान के समक्ष निष्पादित किया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा यह सहमति दी गयी है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पति/पिता लक्ष्मण, हरकरण पुत्र कानाराम के गोद गया हुआ था तथा स्व0 झूंता पुत्र हरलाल के द्वारा छोड़ी गई वाद वर्णित आराजीयात में लक्ष्मण दत्तक पुत्र हरकरण के वारिसान का कोई उज्र एतराज नहीं होगा। इस कारण वाद वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का किसी तरह का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं रहा है। वादीगण की बहिन सम्पति पुत्री झूंता पत्नि शिम्भूराम का स्वर्गवास अपने पिता झूंता की मृत्यु के पूर्व ही दिनांक 27.8.2002 को हो चुका है इसलिए उनके पिता स्व0 झूंता की वाद वर्णित आराजी में उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 का किसी तरह का कोई हक हिस्सा अधिकार नही बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 के द्वारा वादीगण के पक्ष में पूर्व में मौखिक सहमति दी गयी थी की उनके नाना स्व0 झूंता की आराजी उनके मामा अर्थात वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तो उनको किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम एवं प्रचलित विधियों के तहत वादग्रस्त आराजी पैतृक कृषि आराजी की श्रेणी में होने से वादीगण के हित अधिकार सृजित होने से माननीय न्यायालय में वाद पेश किया है। वाद कारण दिनांक 20.6.2021 को तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपने पिता स्व0 झूंता पुत्र हरलाल की वाद वर्णित आराजी का विरासत का नामान्तकरण वादीगण के नाम खुलवाने हेतु दस्तावेज तहसील कार्यालय में पेश किये तो पटवारी हल्का ने विरासत का नामान्तकरण खोलने से इन्कार कर दिया तब से वाद उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी संख्या 10 का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सूचना भिजवायी गयी। तदुपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की ओर से वकील श्री विजय पारीक ने वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 10 (तहसीलदार रूपनगढ) की ओर से जवाब पेश किया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम थल की सेग्रीगेशन जमाबंदी वर्ष 2019 से स्थायी के खाता संख्या 85 में ख0न0 121 रकबा 1.0840 हैक्टेयर, ख0न0 127 रकबा 1.4966 हैक्टेयर व ख0न0 577/129 रकबा 1.9254 हैक्टेयर भूमि झूंता पुत्र हरलाल जाति बलाई सा0देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी प्रकार का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया है। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने जाहिर किया कि उक्त दावा वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार की राजस्व हानि नही होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता/पति लक्ष्मण का हरकरण के गोद जाना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड यथा मृतक लक्ष्मण के मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में लक्ष्मण की वल्दियत में वल्दियत हरकरण दर्ज है। इससे जाहिर होता है कि मृतक लक्ष्मण हरकरण के गोद गया था। इस कारण मृतक लक्ष्मण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को दावे से पृथकं किया जाता है। अतः ग्राम थल के ख0न0 121 रकबा 1.0840 हैक्टेयर, ख0न0 127 रकबा 1.4966 हैक्टेयर व ख0न0 577/129 रकबा 1.9254 हैक्टेयर भूमि में झूंता पुत्र हरलाल के स्थान पर रामचन्द्र, मोठूराम पुत्र झूंता (वादीगण) एवं महेन्द्र, सोनू, सरोज, नरसी, अन्नु पुत्र/पुत्रियां सम्पत पुत्री झुंता (प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Jangid
Date: 2022.06.07 15:37:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड रूपनगढ़)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)